

24/12/2025

पत्रावली पेश है। वकील महकार उप. नदी है। वकील वादी को आवाज लगवायी गयी परन्तु उप. नदी है। वादी को भी प्रत्यक्ष से आवाज लगवायी गयी परन्तु उप. नदी है। बार-बार आवाज लगवायी परन्तु उप. नदी है। पत्रावली को इंतजार में रखवायी गयी। पत्रावली पुनः रखवायी गयी। वादी अधिवक्ता व स्वयं वादी को आवाज लगवायी गयी परन्तु कोई उप. नदी हुए। बार-बार आवाज लगवाने पर भी वादी व वादी अधिवक्ता उप. नदी होने पर पत्रावली अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दारिजल पत्र हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को शेर इजलास सुनाया गया।